



भा.कृ.अ.प.-केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान  
ICAR-CENTRAL SHEEP & WOOL RESEARCH INSTITUTE  
अविकानगर (तहसील-मालपुरा जिला टोंक) वाया : जयपुर राजस्थान (भारत) 304501  
AVIKANAGAR (MALPURA DISTT. TONK) RAJASTHAN (INDIA) 304501



**Registered/email**

F.No. 6(100) SP/Veh.Hir/2004/Vol.I/

Date 17-12-2016

निमित्त-----  
-----  
-----

विषय: संस्थान के टी0ओ0टी0 एवं एस0एस0 विभाग के अन्तर्गत संचालित परियोजना कार्य के लिए गाड़ी/वाहन मासिक मॉग के आधार पर रजिस्टर्ड फर्म/ट्रैवल एजेन्सी/टेक्सी मालिक से गाड़ी/वाहन उपलब्ध करवाने हेतु सीमित निविदा/कोटेशन-प्रपत्र आमंत्रण करने बाबत ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपको सूचित किया जाता है कि इस संस्थान में मासिक मांग के आधार पर रजिस्टर्ड फर्म/ट्रैवल एजेन्सी/टेक्सी मालिक से गाड़ी/वाहन उपलब्ध करवाने हेतु सीमित निविदा/कोटेशन-प्रपत्र आमन्त्रित किये जाते हैं । जिसका विस्तृत विवरण, जानकारी, सीमित निविदा/कोटेशन-प्रपत्र, नियम व शर्तें आदि संस्थान की वेबसाइट [www.cswri.res.in](http://www.cswri.res.in) पर उपलब्ध है ।

अतः आप से अनुरोध है कि इच्छुक सीमित निविदादाता/कोटेशनदाता संस्थान वेबसाइट [www.cswri.res.in](http://www.cswri.res.in) से सीमित निविदा/कोटेशन-प्रपत्र डाउनलोड करते हुए वांछित अमानत धनराशि एवं मय आवश्यक दस्तावेजों के साथ अंतिम तिथि **दिनांक 28-12-2016** को अपरान्ह 1-00 तक जमा करा सकते हैं । प्राप्त सीमित निविदाओं/कोटेशन-प्रपत्रों को उसी दिन अपरान्ह 3-00 बजे समक्ष अधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा उपस्थित सीमित निविदादाता/कोटेशनदाता के समक्ष खोले जायेंगे ।

निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त प्राप्त सीमित निविदाओं/कोटेशन-प्रपत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा और ना ही किसी भी प्रकार की देरी के लिए संस्थान जिम्मेदार होगा ।

भवदीय,

(राम पाल वर्मा)  
सहायक प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. प्राभारी, तकनीकी स्थानान्तरण एवं सामाजिक विज्ञान विभाग को सूचनार्थ ।
2. प्रशासनिक अनुभाग द्वितीय ।
3. वित्त एवं लेखा अनुभाग ।
4. भण्डार अनुभाग ।
5. प्रभारी कृषि ज्ञान एवं प्रबंध इकाई से अनुरोध है कि उक्त सीमित निविदा/कोटेशन-प्रपत्र को संस्थान की वेबसाइट पर प्रकाशित करने का श्रम करे ।

**संस्थान के टी0 ओ0 टी0 एवं एस0 एस0 विभाग के अन्तर्गत किसान प्रथम परियोजना के अनुसंधान कार्य के लिए मासिक आधार पर वाहन/गाड़ी किराये पर लेने की नियम व शर्तें नीचे इस प्रकार दी गयी है ।**

1. सीमित निविदा/कोटेशन-प्रपत्र संस्थान द्वारा जारी प्रदत्त प्रपत्र पर ही स्वीकार की जावेगी । सीमित निविदा/कोटेशन-प्रपत्र सील बन्द लिफाफे में दिनांक 28.12.2016 को अपराह्न 1-00 बजे तक या इससे पूर्व क्रय अनुभाग में जमा करायी जा सकती है । इसके पश्चात सीमित निविदा/कोटेशन-प्रपत्र प्राप्त नहीं किये जायेंगे प्राप्त सीमित निविदायें/कोटेशन-प्रपत्र उसी दिन अपराह्न 3-00 बजे संस्थान द्वारा गठित समिति अथवा अधिकृत अधिकारियों द्वारा खोली जायेगी । जिसमें निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं । देरी से प्राप्त सशर्त ,तार, फेक्स ,इत्यादी द्वारा प्राप्त सीमित निविदा/कोटेशन-प्रपत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे । देरी से प्राप्त सीमित निविदा/कोटेशन-प्रपत्र के लिए संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा ।
2. निविदादाता को सीमित निविदा/कोटेशन-प्रपत्र के साथ रुपये. 2,000/-अक्षरे रुपये दो हजार मात्र अमानत धनराशि बतौर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से इस संस्थान के पक्ष में जो कि ICAR UNIT CSWRI, Avikanagar (Malpura) के नाम SBBJ Malpura branch (10088) में भुगतान योग्य हो के रूप में जमा कराना होगा, बिना अमानत धनराशि के कोई भी सीमित निविदा/कोटेशन-प्रपत्र स्वीकार नहीं की जायेगी ।
3. सफल सीमित निविदादाता/कोटेशनदाता/फर्म को कार्य आदेश जारी करने से पूर्व जमानत धनराशि बतौर प्रतिमाह गाड़ी/वाहन 3000 किलोमीटर चलने को आधार मानकर सीमित निविदा/कोटेशन-प्रपत्र में दी गयी प्रति किलोमीटर की दर के आधार पर तीन माह की गणना करने पर कुल धनराशि का 5% से 10% तक की धनराशि जमा करानी होगी ।
4. गाड़ी/वाहन का रजिस्ट्रेशन, टी0 नं0 (टेक्सी) व आल इन्डिया परमिट होना चाहिये जो कि परिवहन विभाग से किराये पर चलाने के लिए मान्य होना चाहिये। वाहन बीमा शुदा होना चाहिए ।
5. मासिक आधार पर उपलब्ध कराने वाले वाहनों का मैक वर्ष 2014 व इसके बाद का होना चाहिए अन्यथा सीमित निविदा /कोटेशन-प्रपत्र प्रथम दृष्टया ही अस्वीकृत कर दी जायेगी। तथा सीमित निविदा/कोटेशन-प्रपत्र में अंकित वाहनों के संबंध में ही होनी चाहिये । संस्थान न्यूनतम दर वाली सीमित निविदा/कोटेशन-प्रपत्र को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होंगे । उचित दरें ही स्वीकार की जावेगी ।
6. मासिक आधार पर ली जाने वाली गाड़ी का उपयोग राजस्थान राज्य की सीमा में एवं राज्य से बाहर की यात्रा के लिए भी किया जा सकता है ।
7. निविदादाता को उनके द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले वाहनों में से न्यूनतम एक या अधिक वाहन स्वयं के नाम पंजिकृत होने वाले सीमित निविदादाता/कोटेशनदाता को प्राथमिकता दी जावेगी । इस संबंध में प्रमाण स्वरूप आवश्यक दस्तावेजात सीमित निविदा/कोटेशन-प्रपत्र के साथ संलग्न किये जावे । इस संबंध में गठित समिति/सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा लिया गया निर्णय ही अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ।
8. वाहन के सभी वेध प्रपत्र (बीमा ,रजिस्ट्रेशन प्रदूषण जाँच, वाहन चालक का लाईसेन्स आदि) वाहन के साथ उपलब्ध होने चाहिये तथा इसकी एक प्रति संस्थान कार्यालय/वाहन अनुभाग में जमा करानी होगी ।
9. वाहन की लॉग बुक चालक के पास रहेगी तथा संबंधित अधिकारी से लॉग बुक में प्रविष्टियाँ प्रतिदिन दर्ज करानी होगी ।
10. यात्रा के दौरान वाहन में किसी प्रकार की टूट-फूट होने, दुर्घटना होने अथवा कोई जुर्माना होने पर इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही/जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी । ऐसी दशा में वाहन में यात्रा कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को गन्तव्य स्थान पर पहुँचाने की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी । वाहन में यात्रा कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को गन्तव्य स्थान पर पहुँचाने की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी वाहन में यात्रा कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ शालीनता का व्यवहार करना होगा ।
11. यात्री विश्राम भत्ता/मुख्यालय से बाहर किसी गाँव में विश्राम करने पर देय होगा । बशर्ते वाहन का ठहराव रात्री को मुख्यालय से बाहर हो । लगातार चलती गाड़ी में रात्री विश्राम भत्ता नहीं दिया जावेगा ।
12. वाहन के रख-रखाव व इसको चलाने के लिए आवश्यक डीजल, ऑयल, मरम्मत व साधारण टोल टेक्स, सभी प्रकार के कर व्यय तथा चालक आदि का समस्त व्यय वाहन मालिक को वहन करना होगा । संस्थान द्वारा सीमित निविदा/कोटेशन-प्रपत्र में दर्शायी गई दरों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का देय स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
13. वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर वाहन मालिक की जिम्मेदारी होगी एवं परिषद/संस्थान द्वारा उसका किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया जावेगा ।
14. वाहन में लगा माईलोमीटर सील किया हुआ एवं कार्यरत होना आवश्यक है तथा इसे बिना किसी अधिकृत अधिकारी की स्वीकृति के नहीं खोला जावेगा, यदि ऐसा पाया गया तो भुगतान संभव नहीं होगा ।
15. यदि वाहन मालिक द्वारा अनुबन्ध की अवधि से पूर्व अपना वाहन स्वेच्छा से हटाया जाता है। तो वाहन मालिक द्वारा एक माह पूर्व लिखित में सूचना देनी होगी । लेकिन पिछली अवधि में उसका कार्य संतोषजनक पाये जाने के उपरान्त ही उसकी अमानत/जमानत धनराशि लौटायी जावेगी ।
16. निविदा प्रक्रिया में सफल रहने पर 7 दिवस में वाहन मालिक द्वारा 100 /-रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर संस्थान के साथ अनुबंध करना होगा । यदि निर्धारित तिथि तक अनुबंध नहीं किया जाता है तो उसके द्वारा जमा कराई गयी अमानत/जमानत धनराशि जब्त कर ली जावेगी। वाहन मालिक द्वारा 3 प्रतिशत में बिल प्रस्तुत करने पर प्रतिमाह उचित समयावधि में बिल का भुगतान नियमानुसार किया जावेगा ।
17. यदि फर्म की सेवायें संतोषप्रद नहीं पायी जाती हैं तो अमानत/जमानत धनराशि जब्त की जा सकती है ।
18. यह संविदा अनुबंध आदेश जारी होने की तिथि से दिनांक 31.03.2017 तक का होगा । आवश्यकता होगी तो अनुबंध की अवधि बढ़ाई जा सकती है ।
19. आयकर कटौती तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा लगाये जाने वाले कर/टेक्स की कटौती निविदादाता/ठेकेदार के बिल/बिलों में से नियमानुसार की जावेगी ।
20. वाहन के संबंध में किसी प्रकार की अनियमितता या अनुचित आचरण पाये जाने पर तथा निविदादाता/ठेकेदार की सेवायें संतोषप्रद रूप से नहीं पाये जाने पर संस्थान तुरन्त प्रभाव से वाहन को हटा दिया जावेगा । इस संबंध में संस्थान द्वारा वाहन मालिक को कोई हर्जाना देय नहीं होगा । वाहन चालक द्वारा दुराचरण या मद्यपान करने की स्थिति में नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जायेगी एवं जमानत धनराशि जब्त करते हुये अनुबंध निरस्त किया जा सकता है । जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं वाहन मालिक/फर्म/ठेकेदार की होगी । दरें अकों एवं शब्दों दोनों में लिखित में देय होगी । जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि अथवा ओवर-राइटिंग नहीं की गई हो । किसी प्रकार के संशोधन/कटिंग या अस्पष्ट लिखि हुई होगी उस पर लघु हस्ताक्षर मय दिनांक करने होंगे तथा सीमित निविदा/कोटेशन-प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता/ठेकेदार को हस्ताक्षर करने होंगे ।
21. समान दरें आने पर वाहन के नवीनतम वर्ष के मॉडल को प्राथमिकता दी जावेगी ।
22. किसी भी विवाद की स्थिति में संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा लिया गया निर्णय ही अंतिम व मान्य होगा तथा विधिक (लीगल ) वाद में न्यायिक क्षेत्राधिकार मालपुरा होगा ।
23. वाहन एवं वाहन चालक से संबंधित समस्त विधिक (सहमस) एवं अन्य प्रकार के दायित्वों का निर्वहन निविदादाता/ठेकेदार द्वारा किया जायेगा ।

24. नियोजित वाहन चालक के संबंध में प्रचलित श्रम कानूनों की पालना का उत्तरदायित्व संबंधित निविदादाता/फर्म/टेकेदार का होगा ।
25. सफल निविदादाता/टेकेदार को उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों के समस्त/स्वामित्व हक के प्रमाण स्वरूप पंजीयन प्रमाण-पत्र मय परिवहन विभाग के टेक्स चुकायी रसीद, अनुबन्ध निष्पादन के समय प्रस्तुत करने होंगे ।
26. सेवा कर (सर्विस टेक्स) रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित छाया प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी, यदि निविदादाता/टेकेदार सेवा कर प्रदाय करने की सीमा में नहीं आता है तो निविदादाता/फर्म के लैटर हैड पर इस आशय की स्वयं के द्वारा घोषणा पत्र सीमित निविदा/कोटेशन-प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी ।
27. सीमित निविदा/कोटेशन-प्रपत्र की वैधता इनको खोलने की तिथि से 120 दिन तक रहेगी। जिस निविदादाता/टेकेदार की दरें अनुमोदित की जावेगी उसे उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन की समस्त स्थितियों की सावधानीपूर्वक जाँच कर लेनी चाहिये ।
28. निविदादाता/टेकेदार/फर्म द्वारा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के कार्यालय एवं अन्य प्रतिष्ठित उपक्रमों से प्रतिबंधित/ब्लैक लिस्टेड नही होने का प्रमाण पत्र (स्वयं के द्वारा) संलग्न किया जाना आवश्यक है ।
29. यात्रा के दौरान वाहन में किसी प्रकार की खराबी होने की स्थिति में संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों को संस्थान तक पहुँचाने की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी । जिसके लिये कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा ।
30. यह अनुबंध/संविधा कार्य (Work Contract Basis) कार्य आधार पद्धति पर आवंटित किया जायेगा । अनुबंध समाप्ति के पश्चात निविदादाता अथवा उसके प्रतिनिधि का संस्थान से कोई संबंध नहीं रहेगा ।
31. किसी भी सीमित निविदा/कोटेशन-प्रपत्र को सम्पूर्ण अथवा आंशिक किसी भाग को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी महोदय को सुरक्षित है ।

प्रशासनिक अधिकारी

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मैंने सीमित निविदा/कोटेशन-प्रपत्र में दशरथी गई सभी नियम शर्तों को भलीभाँति व अच्छी तरह से पढ़ तथा समझ लिया है। मुझे सीमित निविदा/कोटेशन में दशरथी गई सभी नियम व शर्तें स्वीकार हैं। तथा मैं इनका पूर्ण रूप से पालन करूंगा ।

हस्ताक्षर सीमित निविदादाता/कोटेशनदाता/फर्म

नाम.....

पिता का नाम

पता.....

मोबाइल नं.

पैनकार्ड नं.

मय मोहर.....



भा.कृ.अ.प.-केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान  
ICAR-CENTRAL SHEEP & WOOL RESEARCH INSTITUTE  
अविकानगर (तहसील-मालपुरा जिला टोंक) वाया : जयपुर राजस्थान (भारत) 304501  
AVIKANAGAR (MALPURA DISTT. TONK) RAJASTHAN (INDIA) 304501



F.No. 6(100) SP/Veh.Hir/2004/Vol.II/

Date 17-12-2016

इस संस्थान के अनुसंधान कार्य के लिए सरकारी दौरे पर गाड़ी/वाहन मासिक आधार पर उपलब्ध कराने के लिए सीमित निविदा/कोटेशन प्रपत्र

- सीमित निविदा/कोटेशन-प्रपत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि एवं समय : दिनांक 28.12.2016 को दोपहर 1.00 बजे तक
- सीमित निविदा/कोटेशन-प्रपत्र खोलने की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक 28.12.2016 को दोपहर बाद 3.00 बजे से
- अमानत धनराशि : रुपये 2,000/- (रुपये दो हजार) मात्र
- सीमित निविदा/कोटेशन-प्रपत्र की मान्य अवधि : 120 दिवस

मैं /हम संस्थान में मासिक मॉग के आधार पर निम्नलिखित दरों पर गाड़ी/वाहन उपलब्ध करवाने हेतु निम्नलिखित दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ

कार्य का विवरण	A.C. Vehicle	Non-A.C. Vehicle
1- laLFkku ds Vh0 vks0 Vh0 ,oa ,l0 ,l0 foHkkx ds vUrxZr fdlku izFke ifj;kstuk ds vuqla/kku dk;Z ds fy, vfodkuxj ls pkSlyk] Mspokl] vjfu;k ,oa cLh vkfn xkWaoksa ds vkl&ikl {ks= ,oa lEiw.kZ jktLFkku ds xkoxsa dk losZ{k.k djus ds fy, okgu fdjk,s ij ysus ds dk;Z dh ekfld vk/kkj ij njsa miyC/k djkus ckcr A	<u>Bolero 7 Seater</u> Rs. _____ Per Kilometer upto 3000 Kilometer per month  Rs. _____ Per Kilometer after 3000 Kilometer Rs. _____ Per Night Stay Charges outside the Institute	<u>Bolero 7 Seater</u> Rs. _____ Per Kilometer upto 3000 Kilometer per month  Rs. _____ Per Kilometer after 3000 Kilometer Rs. _____ Per Night Stay Charges outside the Institute

कृपया नीचे दिये गये आवश्यक निर्देश को पढ़/समझ कर ही अपने वाहन की प्रति किलोमीटर चलने की दर दी जावे ।

- महिने में गाड़ी/वाहन के 3,000 किलोमीटर चलने की दर दी जानी है । वाहन/गाड़ी 3,000 किलोमीटर से अधिक माह में चलने की प्रति कि० मी० की दर अलग से दर्शाया जाना है ।
- गाड़ी/वाहन प्रतिदिन परियोजना के अनुसंधान कार्य के लिए दौरे पर जाने के लिए आवश्यकता होगी । गाड़ी/वाहन 24 घण्टे कार्यालय के परिसर चाहे तो खड़ी रख सकते है । कार्य की जरूरत को देखते हुए गाड़ी/वाहन कार्यालय समय से पहले एवं कार्यालय समय पश्चात भी उपलब्ध कराना होगा ।
- गाड़ी/वाहन की लोग बुक रखी जायेगी और लोग बुक इन्द्राज के अनुसार ही महिने में किलोमीटर तय किया जावेगा ।

सीमित निविदा/कोटेशन-प्रपत्र रजिस्टर्ड फर्म/ट्रैवल एजेन्सी/टेक्सी मालिक द्वारा ही भरा जाना चाहिए एवं आकस्मिक आधार पर उपलब्ध कराये गये वाहन का मैक वर्ष 2014 या इसके बाद का अच्छी स्थिति में होना चाहिए ।

मैं /हम सीमित निविदा/कोटेशन-प्रपत्र में दर्शायी गई सभी नियम व शर्तों का पालन करने के लिये वचनबद्ध हूँ/हैं । यदि मेरे /हमारे अथवा मेरे/हमारे प्रतिनिधियों द्वारा सीमित निविदा/कोटेशन-प्रपत्र में दर्शायी गई सभी शर्तों या किसी आंशिक भाग का पालन नहीं किया जाता है। तो मेरे/हमारे द्वारा जमा कराई गई /जमानत धनराशि जब्त करने के लिये सहमत हूँ/हैं ।

मैं /हम सीमित निविदा/कोटेशन-प्रपत्र में दर्शायी गयी सभी नियम व शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ व समझ लिया है । जो मैं/हमें पूर्ण रूप से स्वीकार हूँ/हैं । तथा उनका पालन करने हेतु मैं/हम सहमत हूँ/हैं ।

नाम.....

पिता का नाम .....

पूरा पता .....

.....

पेन नं. ....

मोबाइल नं. ....